न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 33/2020
GCMS NO. : 2020/00057

–: वादीया :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्नी रामदास जाति वैष्णव निवासी बलाडा तहसील जैतारण हाल मुकाम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार, तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली। 2. पटवारी पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.29/06/2020

उपस्थित:– 1. श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता वादीया।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 01/06/2023**

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज० में खसरा नम्बर 433 रकबा 19–04 बीघा, खसरा नम्बर 440 रकबा 10–12 बीघा, खसरा नम्बर 905 रकबा 18–10 बीघा, खसरा नम्बर 966 रकबा 12–12 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 12–06 बीघा आई हुई है। जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा आता है और वादीया अपने 1/4 हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बर में सभी खातेदार स्वर्गीय किशनदास के वारिसान है, जिसकी वंशावली वादपत्र में अंकित है। वादपत्र में वर्णित खातेदारो का नामान्तरणकरण दिनांक 28/08/1979 को भरा गया उस वक्त पटवार हल्का बलाडा द्वारा सभी किशनदास के वारिसान होने से भंवरीदेवी पुत्री रतनदास के स्थान पर भंवरीदेवी पत्नी किशनदास नामान्तरणकरण मे इन्द्राज कर दिया था। नामान्तरणकरण के वक्त रतनदास फौत हो चुके थे इस कारण दादा से सीधा पौत्री के नाम नामान्तरणकरण भरा गया। जिसके नामान्तरणकरण की नकल दिनांक 12/06/2020 को लेने पर सर्वप्रथम वादीया को जानकारी हुई और तब से लगातार आज दिन तक वादीया का राजस्व रेकर्ड नाम भंवरीदेवी पत्नी किशनदास चला आ रहा है जिसकी जानकारी वादीया को नही थी। वादीया को किसी प्रकार का रहन आदि लेने की आवश्यकता नही हुई जिस कारण पटवार हल्का बलाडा से सम्पर्क नही कर सकी। अभी [illegible] उसे रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अपनी जमीन पर किसान क्रेडिट [illegible] बनाने की आवश्यकता हुई तब पटवार हल्का बलाडा के पास [illegible] गई तब पटवारी ने सारी

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

बात बतायी व वादीया ने सभी प्रकार के दस्तावेजात की प्रमाणित नकले प्राप्त की जो वादपत्र के साथ पेश है। पटवार हल्का को रेकर्ड दुरुस्ती के लिये कहा तब पटवार हल्का ने दिनांक 15/06/2020 को रेकर्ड दुरुस्त करने से मना कर दिया और कहा कि इसके लिये श्रीमान् के समक्ष वादपत्र पेश करना पडेगा और श्रीमान् आदेश से ही रेकर्ड मे संशोधन किया जा सकता है। इस कारण यह वादपत्र बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण भूमिधारी राजस्थान सरकार होकर राज्य सरकार के प्रतिनिधि है तथा घोषणा के वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है इसलिए अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय वाद दिनांक 12/06/2020 को राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर दिनांक 15/06/2020 को प्रतिवादी संख्या 02 को राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती बाबत् निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा स्पष्ट रुप से इन्कार करने एवं श्रीमान् के न्यायालय मे वादपत्र पेश कर आदेश लाने का कहने पर बमुकाम बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली राज में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे होने से उक्त वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है ।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा पेश किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी, तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 433, 440, 905, 966, 1360 में वादीया सहखातेदार है। मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान-बलाडा में जाँच अनुसार वादीया का सही नाम भंवरी देवी पुत्री रतनदास है। नामान्तरकरण में सहवन से भवरी पत्नी किशनदास दर्ज हो गया जबकि जाँच अनुसार सही नाम भंवरी देवी पुत्री रतनदास है। वादीया का सही नाम भंवरी पत्नी किशनदास के स्थान पर भंवरी पुत्री रतनदास शुद्ध करना उचित है।

वकील वादीया ने वाद के समर्थन में वादीया भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्नी रामदास का एवं अन्य गवाह सुवा देवी पत्नि भंवरदास, कैलाशदास पुत्र भंवरदास के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा०मि० है।

पत्रावली माननीय राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर, पाली के आदेशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प-2023 ग्राम पंचायत मुख्यालय, बलाडा पर पेश हुई। मजमा-ए-आम में वादी मय वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण की बहस सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 में उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उपयुक्त विवेचन के आलोक में बिन्दूवार निर्णय निम्नानुसार है-

1. ग्राम बलाडा की जमाबन्दी संवत् 2036-2039 (प्रदर्श-1), संवत् 2057-2060 (प्रदर्श-2) के अनुसार खसरा नम्बर 433 रकबा 19-04 बीघा, खसरा नम्बर 440 रकबा 10-12 बीघा, खसरा नम्बर 905 रकबा 18-10 बीघा, खसरा नम्बर 966 रकबा 13-12 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 12-06 बीघा में 'भंवरी पुत्री किशनदास' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। इसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

जमाबन्दी संवत् 2073–2076 (प्रदर्श–4) में 'भंवरी पत्नी किशनदास' की प्रविष्टि दर्ज हुई। नामान्तरकरण पंजिका की प्रति (प्रदर्श–3) में अंकित नामान्तकरण के नोट से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान में तत्कालीन खातेदार किशनदास के फौत होने पर सुजाराम, गीगादास पि0 किशनदास, भंवरू पि0 मांगीलाल एवं भंवरी पुत्री किशनदास का नाम दर्ज हुआ एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2036–2039, 2057–2060 में भी भंवरी पुत्री किशनदास नाम की प्रविष्टि दर्ज है तथा जमाबंदी संवत् 2073–2076 में भंवरी पत्नी किशनदास की प्रविष्टि अंकित की गई।

2. वादीया भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्नी रामदास के साक्ष्य शपथ–पत्र के अनुसार वादीया ने यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/4 वां हिस्सा आता है। वादग्रस्त आराजी में सभी खातेदार स्व0 किशनदास के वारिसान है। किशनदास के फौत होने पर नामान्तरकरण दिनांक 28/08/1979 को भरा गया जिसमें रतनदास पुत्र किशनदास पूर्व में फौत होने से उनके वारिसान भंवरीदेवी पुत्री किशनदास के नाम भरा गया जबकि किशनदास भंवरीदेवी के दादा थे। वर्तमान में वादीया का राजस्व रेकर्ड में नाम भंवरीदेवी पत्नी किशनदास चला आ रहा है। वादीया का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम भंवरीदेवी पुत्री रतनदास है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी जनआधार कार्ड में भी यही दर्ज है। वादीया ने वाद–पत्र में सशपथ यह कथन किये कि वादीया का वास्तविक नाम भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्नी रामदास है जबकि राजस्व रेकर्ड में भंवरीदेवी पत्नी किशनदास दर्ज होने से वादीया अपना किसान कार्ड, बैंक से ऋण भी नहीं ले पा रहे है। अन्य शहादत में गवाह सुवादेवी पत्नी भंवरदास निवासी बलाडा तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह सुवादेवी ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि "वादिया भंवरीदेवी मेरे दादी ससुर किशनदास जी की पौती है तथा मेरे काकी ससुर रतनदास जी की पुत्री है, जिनका स्वर्गवास भंवरीदेवी के जन्म के एक वर्ष पश्चात ही हो गया। वादिया भंवरीदेवी रिश्ते में मेरी ननद लगती है। मेरे पति भंवरदास के सगे छोटे भाई रतनदास की पुत्री है। राजस्व रेकर्ड में भंवरीदेवी पुत्री किशनदास दर्ज हो गया, जो गलत है।" गवाह कैलाशदास पुत्र भंवरदास निवासी बलाडा तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 03 प्रस्तुत किया। गवाह कैलाशदास ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि "वादीया भंवरीदेवी रिश्ते में मेरी भुआ लगती है और मेरे सगे दादा स्व0 रतनदास की पुत्री है। राजस्व रेकर्ड में भंवरीदेवी पुत्री किशनदास दर्ज हो गया, जो गलत है। राजस्व रेकर्ड में भी भंवरीदेवी पुत्री रतनदास होना चाहिए, जो सही है। किशनदास भंवरीदेवी के दादाजी थे।"

3. बहस के दौरान वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन आधार कार्ड में वादीया का नाम भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्नी रामदास एवं भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में वादीया का नाम भंवरी w/o वैष्णव पत्नी रामदास अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

4. राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023 ग्राम पंचायत मुख्यालय, बलाडा में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों द्वारा दौराने उभयपक्ष बहस वादीया का नाम भवरी पत्नी किशनदास की बजाय भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्न रामदास होना बताया गया।

5. प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 433, 440, 905, 966, 1360 में वादीया सहखातेदार है। मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान–बलाडा में जॉंच अनुसार वादीया का सही नाम भंवरी देवी पुत्री रतनदास है। नामान्तरकरण में सहवन से भवरी पत्नी किशनदास दर्ज हो गया जबकि जॉंच अनुसार सही नाम भंवरी देवी पुत्री रतनदास है। मौका फर्द जॉच अनुसार भी मजमे आम में उपस्थितों ने बताया कि किशनदास के बंशीलाल, मांगीलाल, रतनदास, गिगाराम व सुरजाराम पुत्र थे। भंवरी देवी रतनदास की पुत्री है। किशनदास जी भंवरीदेवी के दादाजी थे।

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादीया के शपथ–पत्र एवं गवाह सुवा देवी पत्नी भंवरदास, कैलाशदास पुत्र भंवरदास का शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 433 रकबा 19–04 बीघा, खसरा नम्बर 440 रकबा 10–12 बीघा, खसरा नम्बर 905 रकबा 18–10 बीघा, खसरा नम्बर 966 रकबा 12–12 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 12–06 बीघा ग्राम बलाडा के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि भंवरी पत्नी किशनदास के स्थान पर वादीया का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम भंवरी देवी पुत्री रतनदास है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में जहॉं–जहॉं प्रविष्टि 'भंवरी पत्नी किशनदास' दर्ज है वहॉं उसके स्थान पर 'भंवरी देवी पुत्री रतनदास' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 433 रकबा 19–04 बीघा, खसरा नम्बर 440 रकबा 10–12 बीघा, खसरा नम्बर 905 रकबा 18–10 बीघा, खसरा नम्बर 966 रकबा 12–12 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 12–06 बीघा के भू–अभिलेख में जहॉं–जहॉं वादीया का नाम भंवरी पत्नी किशनदास अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि– 'भंवरी पत्नी किशनदास' के स्थान पर 'भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्नी रामदास' को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा मुरतिब जारी हो जो इस निर्णय का भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/06/2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प बलाडा में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्नी रामदास
जाति वैष्णव निवासी बलाडा तहसील जैतारण हाल मुकाम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार, तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली।
2. पटवारी पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0– 33/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–....... व हाजरी श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, वादीया मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 433 रकबा 19–04 बीघा, खसरा नम्बर 440 रकबा 10–12 बीघा, खसरा नम्बर 905 रकबा 18–10 बीघा, खसरा नम्बर 966 रकबा 12–12 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 12–06 बीघा के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ वादीया का नाम भंवरी पत्नी किशनदास अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि– **'भंवरी पत्नी किशनदास'** के स्थान पर **'भंवरीदेवी पुत्री रतनदास पत्नी रामदास'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प बलाडा में आज तारीख 01/06/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	4.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	08.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर किसी खर्चा यह हो सकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested